राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1371/2025

डॉ. कैलाश चन्द मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएचसी, गढीसवाईराम, अलवर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण सीएचसी, रिडमलसर, श्रीगंगानगर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति में मात्र 18 माह का समय शेष है, जिस कारण से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी की सेवानिवृति से सम्बन्धित दस्तावेज तैयार किये जाने है।
3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की सेवानिवृति में 18 माह से अधिक का समय शेष है। ऐसे में अपीलार्थी की सेवानिवृति सम्बन्धी दस्तावेज तैयार किये जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की

सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)	(विकास सीतारामजी भाले) अध्यक्ष